M.P.POWER TRANSMISSION CO. LTD. JABALPUR.
OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER (T&C)
(Regd. Office : Block No. 2, Shakti Bhawan, Jabalpur

क्रमांक 04–04 / तृतीय उवेमा–84 / 1290 जबलपुर, दिनांक 23–07–2019

आदेश

म0प्र0पॉ0ट्रां0कं0लि0 के आदेश क्रमांक AS/MPPTCL/II/3721-22 दिनांक 30-12-2015 के द्वारा तृतीय विकल्प समयमान वेतनमान (Third Time Scale Pay Higher Pay Scale on completion of 30 years service) का लाभ म0प्र0पॉ0ट्रां0कं0लि0 के कार्मिकों हेतु, उक्त परिपत्र के साथ संलग्न Terms and conditions के प्रावधानों के अनुसार एवं तत्संबंध में पूर्ववर्ती म0प्र0रा0वि0मं0 के आदेशों / परिपत्रों / स्पष्टीकरण / नोटिफिकेशन आदि में किये गये प्रावधानों जिन्हें म0प्र0पॉ0ट्रां0कं0लि0 के द्वारा अपने कार्मिकों हेतु परिपत्र क्रमांक 1735 दिनांक 25.08.2005 एवं आदेश क्रमांक 2929 दिनांक 10.10.2012 द्वारा ग्राह्य किया गया है, तथा कंपनी के आदेश क्रमांक 1351 दिनांक 05.06.2012 द्वारा ग्राह्य पदोन्नति नियम एवं दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत किये जाने का अवसर प्रदान किया गया है, एवं म0प्र0पॉ0ट्रां0कं0लि0 के आदेश क्रमांक AS/MPPTCL/II/3826-27 दिनांक 30-11-2017 के द्वारा दिये गये प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित **मुख्य सुरक्षा सैनिक** को उनके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किये गये विकल्प के अनुसार 30 वर्षीय तृतीय विकल्प, नियम के अंतर्गत **सुरक्षा उप निरीक्षक** के पद का समयमान वेतनमान, वेतन संवर्ग ई–5, वेतन बैंड–1 में वेतनमान रु0 5200–20200 / –सादृश्य ग्रेड वेतन रुपये 2900 / – तथा पुनरीक्षित सातवें वेतनमान रू. 26600–84200 / – प्रतिमाह का लाभ, प्राप्त जानकारी / दस्तावेजों के आधार पर, उनके समक्ष दर्शायी गयी तिथि से इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि कर्मचारियों को पूर्व सेवाकाल में दो ही अवसरों में (पदोन्नति उच्च वेतनमान स्वीकृति) पर वेतन निर्धारण का वास्तविक लाभ प्राप्त होने एवं इस तिथि पर उनके विरुद्ध कोई विभागीय जॉच लम्बित नहीं थी एवं यह तिथि उनको प्रदत्त किसी भी विभागीय दण्डावधि की परिधि में नहीं आती हैं ।

क्रमांक	कर्मचारी संख्या	कर्मचारी का नाम सर्व श्री	वर्तमान में पदस्थापना के कार्यालय का नाम	उच्च वेतन मान स्वीकृति की तिथि
1	2	3	4	5
1	92322204	Shri Manohar Lal Chouhan	E.E. (Testing) Dn. Tikamgarh	30/01/2016

CE (Tr.-EZ)
R No 4346
Date 23/7/19
Works/Pur.
Estt./Steno
Cashier

मुख्य अभियंता (परीक्षण एवं संचार)
म0प्र0पॉ0ट्रा0कं0लि0, जबलपुर

क्रमांक 04–04 / तृतीय उवेमा–84 / 1291 जबलपुर, दिनांक 23–07–2019

प्रतिलिपि :

1. मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.) म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि. जबलपुर ।
2. मुख्य अभियंता (ट्रांस.पूर्वक्षेत्र) म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर ।
3. अधीक्षण यंत्री (परी0 एवं संचार) म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., वृत्त सागर ।
4. कार्यपालन अभियंता (परीक्षण)संभाग म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., टीकमगढ ।

क्रमशः–2

5. वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी, म0प्र0पॉ0मै0कं0लि0, जबलपुर।
6. कार्यपालन अभियंता (बेबमास्टर) कार्या0 मुख्य अभियंता (ट्रांस.पूर्वक्षेत्र) म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि. जबलपुर ।
7. क्षेत्रीय लेखाधिकारी म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर ।
8. निज सचिव कार्यालय प्रबंध निदेशक, म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर।
9. श्री मनोहर लाल चौहान मुख्य सुरक्षा सैनिक द्वारा अधीक्षण यंत्री (परी0 एवं संचार) म.प्र.पा. ट्रॉ.कं.लि., वृत्त सागर ।

— को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अ पदोन्नति का अवसर प्राप्त होने पर, पदोन्नति अस्वीकार करने/निर्धारित समय–सीमा में पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में म0प्र0पॉ0ट्रां0कं0लि0 के आदेश क्रमांक 3721–22 दिनांक 30–12–2015 के प्रावधानों के अनुसार उच्च वेतनमान का लाभ वापस ले लिया जावेगा।

ब. उक्त कर्मचारियों के नियंत्रक अधिकारी से अनुरोध है कि वे आदेश अग्रेषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि उच्च वेतनमान की स्वीकृति की तिथि पर कर्मचारी के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं थी एवं वे दण्डावधि में नही थे। इसके साथ हीं उपरोक्त कर्मचारी की सेवा पुस्तिका से यह भी जांच कर लेवें कि संबंधित कर्मचारी ने 30 वर्षीय तृतीय विकल्प नियम के तहत समयमान वेतनमान स्वीकृति की तिथि में गणना योग्य वांछित 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है एवं संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यालयीन प्रकिया से संबंधित कोई अपराधिक प्रकरण नहीं है। तथा तृतीय विकल्प नियम के तहत् समयमान वेतनमान स्वीकृति की तिथि तक उन्हें, आदेश कमांक 3721–22 दिनांक 30.12.2015 के प्रावधानों के अनुसार, मात्र दो ही अवसरों पर (पदोन्नति अथवा उच्चवेतनमान) वेतन उन्नयन (Fixation of pay) का लाभ प्राप्त हुआ है। यदि उपरोक्त किसी कर्मचारी को दो से अधिक अवसरों पर वेतन उन्नयन (Fixation of pay) का लाभ प्राप्त हो चुका है तब आदेश आवश्यक टीप के साथ इस कार्यालय को अविलंब लौटाना सुनिश्चित करें।

स. उक्त कर्मचारी के अन्यत्र स्थानान्तरित होने की स्थिति में इस आदेश को इस कार्यालय कों वापिस न कर, कर्मचारी के वर्तमान कार्यालय को प्रेषित किया जावे।

अधीक्षण अभियंता
कार्या0 मुख्य अभियंता (परी0 एवं संचार)
म0प्र0पॉ0ट्रा0कं0लि0, जबलपुर